

क्रमांक सीडब्ल्यूसी/बी.एंडसी./ईडी/7(1)(ई)/2025-26

दिनांक: 02.01.2026

## चुनाव सूचना में संशोधन

दिनांक 15.12.2025 को जारी चुनाव सूचना के संदर्भ में, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के निदेशक मंडल में निदेशक के चुनाव के संबंध में, जो भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7(1)(ई) के अंतर्गत शेयरधारक संस्थाओं, अर्थात् सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसका आयोजन 06.02.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक नई दिल्ली में होना निर्धारित है, यह सूचित किया जाता है कि सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के कार्यभार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जो पहले 01.01.2026 (गुरुवार) को शाम 5.00 बजे तक निर्धारित थी, अब बढ़ाकर 09.01.2026 (शुक्रवार) को शाम 5.00 बजे तक कर दी गई है।

तदनुसार, नामांकन खोलने की प्रक्रिया अगले कार्यदिवस, अर्थात् 12.01.2026 (सोमवार) को सुबह 11.00 बजे निगम के कार्यालय में संपन्न होगी।

यदि निर्धारित तिथियों में से कोई भी तिथि सार्वजनिक अवकाश घोषित होती है, तो संबंधित प्रक्रिया अगले कार्यदिवस को उसी समय संपन्न की जाएगी।

*जैसी जैकब*

(जैसी जैकब)

सचिव

No.CWC/B&C/ED/7(1)(e)/2025-26


Dated: 02.01.2026

**CORRIGENDUM TO ELECTION NOTICE**

With reference to the Election Notice dated **15.12.2025** regarding the election of a Director to the Board of **Central Warehousing Corporation (CWC)** representing shareholding institutions under **Section 7(1)(e) of the Warehousing Corporations Act, 1962**, namely Co-operative Societies, scheduled to be held on **06.02.2026 (Friday)** from **02.30 P.M. to 04.30 P.M.** at **New Delhi**, it is hereby informed that, consequent upon a change in the charge of the Chairman, CWC, the **last date for receipt of nominations**, which was earlier fixed as **01.01.2026 (Thursday) upto 5.00 P.M.**, has now been **extended to 09.01.2026 (Friday) upto 5.00 P.M.**

Accordingly, the **opening of nominations** shall take place on the **next working day, i.e., 12.01.2026 (Monday)** at **11.00 A.M.** at the **Corporate Office of the Corporation.**

**In the event that any of the scheduled dates is declared a public holiday, the corresponding activity shall be undertaken on the next working day at the same time.**



(Jessy Jacob)  
Secretary